प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 11.01.2025

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 02.12.2023 को थाना वेव सिटी पर वादी श्री राहुल गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता नि0 गौतम नगर नई दिल्ली की प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा षडयन्त्र के तहत धोखाधड़ी कर अन्य किसी व्यक्ति की जमीन को अपने स्वामित्व के झूठे दस्तावेज तैयार कर असल के रूप में प्रयोग कर लगभग 36 लाख रूपये की ठगी कर लेना तथा वादी को सही जानकारी होने पर पैसे मांगने पर न तो जमीन देना और न ही पैसे वापस करने के सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थानास्तर से वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 02 टीम गठित की गयी।

आज दिनांक 11.01.2025 को अभियुक्त मांगेराम कौशिक पुत्र तिलकराम निवासी ग्राम आसिफपुर उजैडा थाना निवाडी गाजियाबाद उम्र 58 वर्ष को ग्राम आसिफपुर उजैडा से हिरासत में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर राहुल गुप्ता को एक जमीन को अपने स्वामित्व के झूठे दस्तावेज तैयार कर असल के रूप में प्रयोग कर लगभग 36 लाख रूपये ले लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पताः-

मांगेराम कौशिक पुत्र तिलकराम निवासी ग्राम आसिफपुर उजैडा थाना निवाडी जिला गाजियाबाद, उम्र करीब 58 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना वेव सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा लोगों के साथ धोखाधडी कर सिक्योरिटी गार्ड भर्ती कर सिक्योरिटी कम्पनी चलाने वाले 04 अभियुक्त गण गिरफ्तार।

दिनांक 10.01.2025 को थाना मसूरी क्षेत्र में मीट फैक्ट्रियों में संचालित सिक्योरिटी प्रदान करने वाले विभिन्न कम्पनियों की जांच की गयी तो पाया कि सिक्योरिटी प्रदान करने वाले कम्पनियों के संचालको द्वारा बिना लाईसेन्स के भिन्न भिन्न राज्यों से गार्डो को लाकर बिना जांच सत्यापन कराये फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर लोगो के साथ धोखाधडी करके सिक्योरिटी कम्पनी में काम दिया जा रहा है। जिसके सम्बन्ध में थाना मसूरी पर वादी उ0नि0 श्री प्रशान्त कुमार गौतम द्वारा मु0अ0स0 07/2025 धारा 318(4),336(3),340(2) बीएनएस व प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 4 व 20 के अन्तर्गत बनाम (1) सराफत अली पुत्र मो0 अशरफ मूल निवासी ग्राम बहराम गला थाना सूरन कोट जिला पुँछ जम्मू कश्मीर हाल निवासीए-15 , टाल श्याम पार्क एक्शटेंशन साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद (2) जफर इकबाल पुत्र मो0 अशरफ नि0 ग्राम माडा थाना सूरन कोट जिला पुँछ जम्मू कश्मीर हाल पता फ्लैट नं0 7011 देव हाइट्स थाना वेव सिटी गाजियबाद (3)

मौ0 सफीर पुत्र मौ0 सरीफ नि0 ग्राम माडा थाना सूरन कोट जिला पुँछ जम्मू कश्मीर हाल पता भूड गडी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद (4) मुमताज हुसैन खान पुत्र अब्दुल रशीद मूल निवासी दानशाबाद कालोनी मनहाल शाना थन्ना मण्डी जनपद राजौरी जम्मू कश्मीर हाल निवासी म0नं0 बी 24 सेकेण्ड फ्लोर श्याम पार्क एक्शटेंशन साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद पंजीकृत कराया गया। मुकदमे से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी के लिये टीमो का गठन किया गया।

तत्पश्चात त्वरित कार्यवाही करते हुये दिनांक 11.01.2025 को अभियुक्त (1) जफर इकबाल (2) मौ0 सफीर को डासना बस स्टैण्ड के पास से व अभियुक्त (3) मुमताज हुसैन खान (4) सराफत अली को इनके आफिस साहिबाबाद से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त गणों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग मूल रूप से जम्मू कश्मीर राज्य के जनपद पूंछ के निवासी है तथा पैसा कमाने के उद्देश्य से हम लोग जम्मू से आकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग नाम से सिक्योरिटी कम्पनी संचालित कर गार्डो के रूप में सस्ते दामों में उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देते है इसमे अधिकतर हम लोग अपने जम्मू साइड के ही लोगो को नियुक्त करते है तथा जिन कम्पनियों में इन गार्डों को उपलब्ध कराया जाता है उन कम्पनियों से इनके एवज में मोटी रकम लेते है तथा अभियुक्त सराफत व मो0 सफीर ने बताया कि हमारे पास उत्तर प्रदेश का सिक्योरिटी कम्पनी चलाने का कोई लाईसेन्स नही है। सराफत ने बताया कि मै एशिया ग्रुप सिक्योरिटी के नाम से गार्ड कम्पनी का संचालन करता हूँ तथा मो0 सफीर ने बताया कि मै मून साइन सेफ सिक्योरिटी सर्विसेस के नाम से सिक्योरिटी कम्पनी का संचालन करता हूँ व अभियुक्त जफर इकबाल ने बताया कि मै अक्शा सिक्यूरिटी सर्विसेस नाम से व अभियुक्त मुमताज ने बताया कि राजपूत प्रोटेक्शन प्रा0 लि0 नाम से सिक्योरिटी कम्पनी का संचालन करते है। तथा हम लोगो ने मसूरी थाना क्षेत्रान्तर्गत फैक्ट्रियों में गार्डों को बिना उनके चरित्र सत्यापन , निवास सत्यापन व मेडिकल परीक्षण व अन्य आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही न करते हुये पैसो के लालच में गार्डो को सस्ते दाम में लेकर फैक्ट्रियों में लगाया गया है। हमारे पास लाईसेन्स न होने के उपरान्त भी हम लोगो द्वारा कार्यालय खोला गया व विजिटिंग कार्ड बनाकर अपनी सिक्योरिटी कम्पनी का प्रचार प्रसार करने के लिये विजिटिंग कार्ड जारी किये गये थे जिससे भोले भाले लोग हमारे पास काम की तलाश में आये और हम उन्हे सस्ते दामों में गार्ड की नौकरी देकर फैक्ट्रियों में लगाकर मोटी रकम ले सके। हम लोगो से पैसो के लालच में आकर बिना लाईसेन्स व बिना मानक पूरे किये हुये सिक्योरिटी गार्ड की कम्पनी संचालित की जा रही थी।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम व पता –

(1) सराफत अली पुत्र मो0 अशरफ मूल निवासी ग्राम बहराम गला थाना सूरन कोट जिला पुँछ जम्मू कश्मीर हाल निवासीए-15 , टाल श्याम पार्क एक्शटेंशन साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद **(एशिया ग्रुप सिक्योरिटी)**

(2) जफर इकबाल पुत्र मो0 अशरफ नि0 ग्राम माडा थाना सूरन कोट जिला पुँछ जम्मू कश्मीर हाल पता फ्लैट नं0 7011 देव हाइट्स थाना वेव सिटी गाजियबाद **(अक्शा सिक्यूरिटी सर्विसेस)**

(3) मौ0 सफीर पुत्र मौ0 सरीफ नि0 ग्राम माडा थाना सूरन कोट जिला पुँछ जम्मू कश्मीर हाल पता भूड गडी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद **(मून साइन सेफ सिक्योरिटी सर्विसेस)**

(4) मुमताज हुसैन खान पुत्र अब्दुल रशीद मूल निवासी दानशाबाद कालोनी मनहाल शाना थन्ना मण्डी जनपद राजौरी जम्मू कश्मीर हाल निवासी म0नं0 बी 24 सेकेण्ड फ्लोर श्याम पार्क एक्शटेंशन साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद **(राजपूत प्रोटेक्शन प्रा0 लि0)**

बरामदगी का विवरण

कूट रचित दस्तावेज (विजिटिंग कार्ड व अन्य)

<u>पंजीकृत अभियोग व अभियुक्तो का आपराधिक इतिहास</u>

उपरोक्त घटना के सम्बध मे अभियुक्त गण पर थाना मसूरी पर मु0अ0स0- 07/2025 धारा 318(4),336(3),340(2) बीएनएस व प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 4 व 20 पंजीकृत है व अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम</u> –

थाना मसूरी पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा अभियोग में प्रकाश में आया 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 09.07.2022 को थाना प्रभारी की डाक पैड से एक प्रार्थना पत्र वादी राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भुल्लन सिंह निवासी भजनपुरा दिल्ली का लिखित प्राप्त हुआ जिस पर थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्काल मु0अ0सं0-799/22 धारा 420, 467, 468, 471, 323, 504, 506, 120बी पंजीकृत किया गया। अभि0 गण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी जिसमें थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 11.01.2025 को अभियोग मे प्रकाश में आये अभियुक्त कुलदीप पुत्र देवकीराम निवासी ग्राम शरफूद्दीनपुर जावली थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>:-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने राजेन्द्र सिह पुत्र भुल्लन सिह के आवासीय प्लाट रकबई 700 बर्ग गज खसरा न0 1368 मि0 सीमा स्थित राम वाटिका लोनी ग्राम व तहसील लोनी गाजियाबाद के मुख्तारनामा में मैने फर्जी आधार कार्ड लगाकर झूठी गवाही दी थी।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त</u>

कुलदीप पुत्र देवकीराम निवासी ग्राम शरफूद्दीनपुर जावली थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष

<u>आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग</u>

थाना लोनी पर धारा 420, 467, 468, 471, 323, 504, 506, 120बी भादवि का अभियोग पंजीकृत है व अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम</u>:-

थाना लोनी पुलिस टीम